भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *407
02.04.2026 को उत्तर के लिए

जैव विविधता संबंधी जागरूकता

***407. श्रीमती संगीता यादव :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में जैव विविधता से संबंधित कार्यकलापों के माध्यम से जैव विविधता संबंधी जागरूकता को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में उठाए गए कदमों का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'जैव विविधता संबंधी जागरूकता' के संबंध में दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए श्रीमती संगीता यादव द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *407 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : जी हाँ, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में यथा संशोधित) के कार्यान्वयन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जैव-विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इस अधिनियम में जैविक-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं संधारणीय उपयोग के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यनीतियां और योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है। इनमें जैविक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों की पहचान एवं निगरानी, जैविक संसाधनों का स्थलगत एवं स्थल-वाह्य संरक्षण, जिसमें फसल की किस्में, पारंपरिक किस्में एवं स्थानीय प्रजातियाँ शामिल हैं, को बढ़ावा देने के साथ-साथ अनुसंधान, प्रशिक्षण और जन-शिक्षा को प्रोत्साहन देने जैसे उपाय शामिल हैं, जिससे जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढाई जा सके।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद (यूटीबीसी) और जमीनी स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) सहित एक विकेंद्रीकृत और सहभागी त्रिस्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे प्रभावशाली पहुंच और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। एनबीए ने एसबीबी/यूटीबीसी के साथ मिलकर देश भर में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन को सुविधाजनक बनाया, जो जैव विविधता और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण के लिए स्थानीय स्तर पर जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर जागरूकता और संरक्षण कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ती है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में यथासंशोधित) के अनुसरण में, 29 अप्रैल 2025 को जैव विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे संबंद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण) विनियम, 2025 अधिसूचित किए गए थे, जो पहुंच और लाभ साझाकरण दिशानिर्देश 2014 को प्रतिस्थापित करते हैं। अभी तक, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 263.00 करोड़ रुपये की पहुंच और लाभ साझाकरण राशि एकत्र की है, जिसमें से 145 करोड़ रुपये राज्य जैव विविधता बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों के माध्यम से किसानों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों और लाभान्वित होने वाले अन्य दावेदारों को वितरित किए गए हैं। लाभ-साझाकरण राशि का उपयोग उन क्षेत्रों में संरक्षण कार्यकलापों का समर्थन करने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जहां से जैविक संसाधनों तक पहुंचा गया है।

राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसमें जैव विविधता संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों और स्थानीय समुदायों के लिए विभिन्न आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य में जैव-विविधता संरक्षण को जैव-विविधता प्रबंधन समितियों एवं पंचायत के पदाधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में जमीनी स्तर पर बीएमसी का गठन किया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने वर्ष 2025 में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें "वृक्षारोपण महा अभियान 2025" तथा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।

भारत ने 30 अक्तूबर 2024 को कैली, कोलंबिया में जैविक विविधता अभिसमय (सीबीडी सीओपी-16) के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल जैव विविधता फ्रेमवर्क के अनुरूप अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना - (2024-2030) को अद्यतन किया और उसे जारी किया, जिससे विकासशील देशों के बीच भारत ने अपने नेतृत्व की पुष्टि की। 'संपूर्ण-सरकार' और 'संपूर्ण-समाज' दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना - (2024-2030), विशेष रूप से युवाओं और स्थानीय समुदायों के बीच जैव विविधता संरक्षण पर सार्वजनिक जागरूकता और आउटरीच पर बल देती है। प्रमुख पहलों में शैक्षिक पाठ्यक्रम में जैव विविधता का एकीकरण, इको-क्लबों को बढ़ावा देना, जागरूकता अभियान तथा सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल आउटरीच शामिल हैं।

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से भी जैविक विविधता संबंधी कार्यकलाप किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति समझ को बढ़ाते हैं, जिससे जैव-विविधता के प्रति जागरूकता एक सहभागितापूर्ण एवं जन-आधारित अभियान के रूप में रूपांतरित हो रही है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय तथा इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए पोस्टर, चित्रकला, नारा एवं निबंध प्रतियोगिताएँ, वाद-विवाद, सेमिनार/कार्यशालाएँ आदि जैसे पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम/कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही, स्कूली बच्चों के लिए ग्रीष्मावकाश कार्यक्रम एवं शीत कालीन प्रकृति शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

इसके साथ-साथ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठन/संस्थान संरक्षण, अनुसंधान एवं आउटरीच गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
